

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ व जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2066-67 में खाता संख्या 58, 87, 60 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.स	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गणपुरा प.स. (पटवारी)	58	शुद्ध प्रविष्टि न. अमलदरामद	शुद्ध प्रविष्टि न. अमलदरामद
2	प्रजापति न. प.स. (पटवारी)	87	शुद्ध प्रविष्टि न. अमलदरामद	शुद्ध प्रविष्टि न. अमलदरामद
3	विष्णुपुरा प.स. (पटवारी)	60	शुद्ध प्रविष्टि न. अमलदरामद	शुद्ध प्रविष्टि न. अमलदरामद

(जगदीश प्रसाद गौड़)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़

क्रमांक:- 310-11

दिनांक:- 13/01/15

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री शुद्ध प्रविष्टि न. अमलदरामद को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़